

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग- नई दिल्ली
आर्थिक प्रभाग

सं. 11/ईडी/2024
20 मार्च 2025

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय में परामर्शदाताओं (आर्थिक)के पैनल की नियुक्ति/तैयारी

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में निहित लेखापरीक्षा और लेखांकन कार्यों को करने का अधिदेश प्राप्त है।
2. युवा अर्थशास्त्रियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय (सीएजी कार्यालय) तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में महत्वपूर्ण पहलों पर काम करने के लिए लाने और इस प्रकार, भावी अर्थशास्त्रियों की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से, परामर्शदाता (आर्थिक) का एक पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
3. (आर्थिक) परामर्शदाता के उद्देश्य, आवश्यक योग्यताएं, कर्तव्य और अन्य आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

<p>उद्देश्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> • युवा अर्थशास्त्रियों को सीएजी कार्यालय में अपर आर्थिक परामर्शदाता द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों पर काम करने के लिए लाना, जिससे भावी अर्थशास्त्रियों की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिल सके। • यह नवोदित अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठित सरकारी संगठन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। • लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य से आर्थिक विश्लेषण की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। • इस प्रकार अर्जित अनुभव से उन्हें सरकारी/निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्री के रूप में अपने कैरियर की प्रगति में तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण कार्यभार संभालने में सहायता मिलेगी।
<p>कर्तव्य और उत्तरदायित्व</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आंतरिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक महत्व के विभिन्न अवधारणा नोट्स और विश्लेषण तैयार करने में अपर आर्थिक परामर्शदाता को सहायता प्रदान करना। • प्रभाग के वार्षिक संकलन अर्थात् प्रमुख आर्थिक और राजकोषीय संकेतक और राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) के संकलन को जारी करने में सहायता करना। • एसएफएआर की समीक्षा करना और ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए) के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियां प्रदान करना। • आर्थिक प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों में आर्थिक अवधारणाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त से संबंधित अवधारणाओं को लागू करना। • राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, संकलित करना और व्याख्या करना। • आर्थिक विश्लेषण के लिए इनपुट की आवश्यकता वाले अन्य कार्य करना।

शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक अनुभव	<p style="text-align: center;">आवश्यक मानदंड</p> <p>(क) शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र/सार्वजनिक वित्त में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता, अधिमानतः 55% अंक, परंतु 50% से कम नहीं</p> <p>(क) व्यावसायिक अनुभव: (i) अधिमानतः केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त में आर्थिक मामलों पर काम करने में 2 (दो) वर्ष का अनुभव और आर्थिक विश्लेषण के साधनों में अच्छी तरह से पारंगत, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्य उम्मीदवार (ओं) के मामले में छूट दी जा सकती है।</p> <p>(ii) आर्थिक विश्लेषण के साधनों में पारंगत।</p>
पदों की संख्या	02(दो)
कार्य स्थल	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
आयु	विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 32(बत्तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें योग्य उम्मीदवार के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।
पारिश्रमिक	कार्य निष्पादन के आधार पर ₹3,500 (तीन हजार पांच सौ रुपये) की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹70,000 (सत्तर हजार रुपये) का समेकित मासिक पारिश्रमिक।
भत्ता	कार्यभार ग्रहण करने के लिए या कार्यभार पूरा होने पर कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। अन्य कोई सुविधाएं जैसे महंगाई भत्ता, आवास, फोन/वाहन/परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति, विदेश यात्रा, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति/सीजीएचएस स्वीकार्य नहीं होंगी। हालांकि, नियुक्त परामर्शदाताओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन शासकीय उद्देश्य के लिए घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है। टी. ए./डी. ए. आधिकारिक दौरा डी/ओ व्यय ओ. एम. सं. 1030/1/2017-ई. IV दिनांक 13.07.2017 और बाद के आदेशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 से 11 के अधिकारी की पात्रता के बराबर लागू हो सकता है।
पदनाम	परामर्शदाता (आर्थिक)

अनुबंध की अवधि	नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, तथा उनके प्रदर्शन और लेखापरीक्षा विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।
आवेदन कैसे करें	<ul style="list-style-type: none"> • इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी भारत के सीएजी की वेबसाइट पर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 20 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप [अनुलग्नक-I] में आवेदन कर सकते हैं। • विधिवत भरा हुआ आवेदन aaoeconomi cwi ng.cag@cag.gov.i n पर ई-मेल किया जा सकता है। • अभ्यर्थियों को डाक/कूरियर/किसी अन्य भौतिक माध्यम से आवेदन नहीं भेजना है।
चयन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> • आवेदन की जांच स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। • चयनित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।
नियम एवं शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> • अनुबंध/समझौते/प्रतिक्रिया तथा अन्य नियमों व शर्तों के विवरण के लिए अनुलग्नक-II देखें।
गोपनीयता की घोषणा	चयन की स्थिति में, सलाहकारों को अनुलग्नक-III के अनुसार गोपनीयता की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ता/-
स.ले.अ
आर्थिक प्रभाग

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
परामर्शदाता (आर्थिक) के पद के लिए आवेदन पत्र

यहाँ अपना हाल
का पासपोर्ट
साइज़ चित्र
चिपकाएँ

1. नाम :
2. पिता /माता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. लिंग :
5. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :
6. ई-मेल आईडी :
7. संपर्क संख्या. :

मोबाइल नं.:

8. शैक्षणिक योग्यताएं (नवीनतम से शुरू करते हुए उल्टे क्रम में)

क्रम सं	उपाधि	स्नातक का वर्ष	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	अंकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					

9. व्यावसायिक योग्यताएं (उल्टे क्रम में, नवीनतम से शुरू करते हुए)

क्रम सं.	उपाधि	समाप्ति का वर्ष	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	अंकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					

10. प्रासंगिक अनुभव (उल्टे क्रम में, नवीनतम से शुरू करते हुए)

क्रम सं.	पद का नाम	नियोक्ता/संगठन का नाम	रोजगार का प्रकार*	समयावधि		संक्षेप में कर्तव्यों की प्रकृति
				से	तक	
1.						
2.						

* अंशकालिक, पूर्णकालिक या इंटरैक्शियु

11. प्रासंगिक तकनीकी कौशल एवं अकादमिक प्रकाशनों की सूची:

12. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के आर्थिक प्रभाग में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने की प्रेरणा/कारण बताएं (500-700 शब्दों में उल्लेख करें)

घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं जानता हूँ कि दुर्यपदेशन / मिथ्या निरूपण या भौतिक रूप से झूठी घोषणा के मामले में, यह मुझे लागू कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा। मैं यह भी समझता / समझती हूँ कि यदि नियुक्ति पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर विसंगति पाई जाती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और / या वचनबंध रद्द कर दिया जाएगा। यदि अनुबंध अवधि के बाद ऐसी कोई आकस्मिकता उत्पन्न होती है तो पूर्णता प्रमाण-पत्र भी वापस लिया जा सकता है।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक:

स्थान:

आवश्यक संलग्नक:

- (i) जन्म तिथि का प्रमाण (DOB)
- (ii) शैक्षिक योग्यता [स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों को अलग-अलग दर्शाते हुए।
- (iii) अनुभव
- (iv) पता

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग – नई दिल्ली
(आर्थिक प्रभाग)

परामर्शदाता (आर्थिक) के संबंध में नियम और शर्तें

- i) पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता (आर्थिक) की नियुक्ति इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा कार्यनिष्पादन/आवश्यकता के आधार पर इसे वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
- ii) पारिश्रमिक
- क) ₹70,000/- (सब मिलाकर प्रति माह सत्तर हजार रुपये) का समेकित मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। हालांकि, यदि विस्तार पर विचार किया जाता है तो उसे प्रदर्शन के आधार पर ₹3,500/- (तीन हजार पांच सौ रुपये) की वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है।
- ख) कार्यभार ग्रहण करने या कार्यभार पूरा होने पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। अन्य कोई सुविधाएं जैसे महंगाई भत्ता, आवास, फोन/वाहन/परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति, विदेश यात्रा, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति/सीजीएचएस देय नहीं होंगी। हालांकि, नियुक्त सलाहकारों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन आधिकारिक उद्देश्य के लिए घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है। आधिकारिक दौरे के लिए टीए/डीए व्यय विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1030/1/2017-ई.IV और उसके बाद के आदेशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 से 11 के अधिकारी की पात्रता के बराबर लागू होगा।
- ग) आयकर या प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती योग्य कोई अन्य कर भुगतान करने से पहले स्रोत पर काट लिया जाएगा, जिसके लिए भारत का सीएजी टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस अनुबंध के अंतर्गत किए गए भुगतानों पर परामर्शदाता द्वारा देय करों या अन्य अंशदानों के लिए कोई दायित्व नहीं लेंगे। सामान्यतः भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

कार्यालय द्वारा माह पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर उपस्थिति और संबंधित स्कन्ध/अनुभाग के प्रभारी द्वारा उचित प्रमाणीकरण के आधार पर जारी किया जाएगा।; एवं

घ) परामर्शदाता के रूप में अनुबंध की अवधि के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, परामर्शदाता या उसके आश्रित/कानूनी उत्तराधिकारी/दावेदार आदि किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

iii) अवकाश एवं कार्य की अवधि /दिन

(क) वे एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 10 दिनों [08 (आठ) आकस्मिक अवकाश एवं 02 (दो) प्रतिबंधित अवकाश] के लिए पात्र होंगे;

(ख) वे एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों (08+02) से अधिक अनुपस्थित रहने पर आनुपातिक आधार पर किसी पारिश्रमिक के पात्र नहीं होंगे।

(ग) एक कैलेंडर वर्ष में अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं ले जाया जा सकेगा।

(घ) छुट्टी के दौरान बीच में पड़ने वाले शनिवार, रविवार या राजपत्रित अवकाश को 10 दिन की छुट्टी में नहीं गिना जाएगा, तथा

(ङ) परामर्शदाता का कार्य समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के नियमित कार्य समय के समान होगा। यदि वह शनिवार/रविवार/राजपत्रित तथा अन्य किसी अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित होता है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

(i v) परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति न तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय या भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में किसी भी प्रकार की नियमित सेवा या नियुक्ति होगी और न ही यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय और परामर्शदाता के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध की प्रकृति का होगा।

(v) उन्हें ऐसा अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आवश्यक समझा जाएगा।

- (vi) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
- (vi i) परामर्शदाता के रूप में वह नियुक्ति के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालय के बाहर किसी व्यक्ति/प्राधिकारी से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। परामर्शदाता को अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन से संबंधित सभी विधियों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। नियुक्ति की अवधि के दौरान, परामर्शदाता को आचरण के मानकों का पालन करना होगा। इसका अनुपालन न करने पर परामर्शदाता को बिना किसी नोटिस के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- (vi i i) साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवेदकों को किसी टीए/डीए (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (i x) कार्य/तैनाती का स्थान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होगा।
- (x) **कार्य-समाप्ति**
- (क) बिना किसी सूचना या वैध कारण के लगातार आठ (08) दिनों तक परियोजना/कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा; तथा
- (ख) उनकी संविदा सेवाएं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेंगीं। हालाँकि, सामान्यतः एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। वे एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने की मांग भी कर सकेंगे।
- (xi) परामर्शदाता के रूप में अनुबंध की अवधि की समाप्ति/पूर्ण होने के समय, उन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सभी कागजात, चित्र, नोट्स, ज्ञापन, मैनुअल, विनिर्देश, डिजाइन, उपकरण, दस्तावेज, डिस्कट, सीडी, डीवीडी, टेप, पुस्तकें, डिजिटाइज्ड डेटा, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड जो उनके द्वारा दैनिक आधिकारिक कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा किसी भी मीडिया पर कोई अन्य सामग्री जिसमें कोई गोपनीय या स्वामित्व या तकनीकी या व्यावसायिक जानकारी शामिल हो या

प्रकट हो, स्कन्ध के प्रभारी अधिकारी/नामित अधिकारी को वापस करना होगा। परामर्शदाता के रूप में अनुबंध की अवधि समाप्त होने/पूरा होने पर उन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय/भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से संबंधित सभी चाबियां, पास कार्ड, पहचान पत्र या अन्य संपत्ति/वस्तुएं स्कन्ध के प्रभारी अधिकारी/नामित अधिकारी को वापस करनी होंगी। उन्हें कार्यालय छोड़ने से पहले इस स्कन्ध और संबंधित अनुभागों के प्रभारी अधिकारी/पदनामित अधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा।

(xi i) कार्यात्मक स्कन्ध के मुखिया कार्य बल दृष्टिकोण अपनाएँगे तथा परामर्शदाता के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करेंगे, ताकि परिणाम उद्देश्यों के अनुरूप हो। इसके अलावा, परामर्शदाता के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन का कार्य स्कन्ध के प्रमुख द्वारा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।

(xi ii) उन्हें परामर्शदाता के रूप में अनुबंध की अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव और ज्ञान/दक्षता पर स्कन्ध के प्रभारी अधिकारी/नामित अधिकारी को अपना फीडबैक देना/प्रस्तुत करना होगा।

(xi v) अनुबंध की अवधि के अंत में, मांगने पर अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(xv) परामर्शदाता को अपने ज्ञात दो संदर्भों से सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अधिमानतः वर्तमान संस्थान से या जिस संस्थान में अंतिम बार अध्ययन किया हो।

(xvi) परामर्शदाता को इस आशय का एक स्व-वचनपत्र देना होगा कि उनका कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है तथा उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(xvi i) परामर्शदाता को संलग्न गोपनीयता/गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करके उसे प्रस्तुत करना होगा।

(xvi ii) अनुबंध या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न पक्षों के बीच कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, यदि सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाया न जाए, मध्यस्थता के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजा जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपने विवेक से विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

गोपनीयता/अ-प्रकटीकरण समझौता

1. सामान्य

- I. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्शदाता के रूप में तथा मुझे वर्तमान एवं भविष्य में दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सर्वोत्तम हित को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करूंगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा जो-

"एक कानूनी इकाई के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हितों के प्रतिकूल होगी, जिसमें बिना किसी सीमा के, इस समझौते द्वारा परिकल्पित न की गई कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शामिल है"।

2. अ-प्रकटीकरण खंड

- I. मैं एतद्वारा यह स्वीकार करता एवं समझता हूँ कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित और/या उनके अधिकार में, किसी भी मीडिया जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आदि में सभी गोपनीय और/या स्वामित्व संबंधी जानकारी, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में मेरी नियुक्ति के दौरान मेरे द्वारा प्राप्त की गई और/या उपयोग की गई है, उसे मीडिया सहित किसी भी संस्था के साथ मेरे द्वारा साझा नहीं किया जाएगा या उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- II. इस समझौते के अंतर्गत गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण की रोकथाम और सूचना प्रदान करने के दायित्वों से संबंधित सभी दायित्व मुख्य समझौते की अवधि तक तथा इसकी समाप्ति या समाप्ति की तारीख से अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रहेंगे, जैसा भी मामला हो।

3. पूर्ण स्वामित्व

- I. मैं एतद्वारा यह स्वीकार करता और समझता हूँ कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की गोपनीय या स्वामित्व वाली तकनीकी, वित्तीय, विपणन और व्यावसायिक जानकारी के पूर्ण, अप्रतिबंधित और अनन्य स्वामी हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, अवधारणाएँ, तकनीकें, प्रक्रियाएँ, विधियाँ, ग्राहक, लागत डेटा, विकास या प्रयोगात्मक कार्य, प्रगति पर कार्य, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता इंटरनेट वेबसाइट या ई-कॉमर्स समाधान, पुस्तकें आदि सम्मिलित हैं,

जिनका उपयोग मेरे द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में मेरी नियुक्ति के दौरान किया गया है।

- II. मैं सहमत हूँ कि मैं किसी भी तरह से प्रस्तुत नहीं करूँगा और/या दावा नहीं करूँगा कि मेरा स्वामित्व, समनुदेशन या अन्यथा इसमें कोई हित है।
- III. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस समझौते के लागू रहने के दौरान विकसित किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के एकमात्र स्वामी होंगे। मैं एतद्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए विद्यमान गतिविधियों के परिणामस्वरूप किसी भी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रकृति के सभी दावों का परित्याग करता हूँ।

4. अनुबंध का उल्लंघन

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा/समझौते के अंतर्गत मेरे द्वारा किया गया कोई भी उल्लंघन, और/या समान प्रकृति का कोई भी दायित्व, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत के किसी भी न्यायालय में असाधारण राहत के हकदार होंगे, जिसमें बिना किसी निकासी/चरित्र प्रमाण पत्र के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से मेरा निष्कासन, सुरक्षा बांड जमा करने की आवश्यकता के बिना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने से काली सूची में डालना, किसी भी लंबित पारिश्रमिक को रोकना, उचित कानूनी कार्रवाई, अस्थायी निरोधक आदेश, प्रारंभिक निषेधाज्ञा और स्थायी निषेधाज्ञा सम्मिलित हैं।

इस समझौते को पढ़ने और पूरी तरह से समझने के बाद, मैंने इसदिन2025 को अपने नाम के हस्ताक्षर किए हैं।

(हस्ताक्षर)

नाम: